# कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैढ़न जिला – सिंग्रौली (मग्र)

जिला – सिंगरौली (म.प्र.)

(साई कालेज के पास धोटी वार्ड कमांक 38 ) E-Mail : gmmprrdawaidhan@rediffmail.com

पत्र क्र. 2203/तक./वन/2023

बैढ़न, दिनांक :05.02.2024

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी महोदय वन मंडल सिंगरौली जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

विषयः– सिंगरौली जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत गजराबहरा से सुलियारी कोलयार्ड मार्ग के निर्माण हेतु 5.672 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. बैढ़न सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत् ।

संदर्भः— (1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-мрк034/2022-вно/ दिनांक 21.07.2023

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र. एफ–5/1196/2022/10–11/3196
भोपाल दिनांक 24.07.2023 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत के संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बैढ़न विकासखण्ड के मार्ग गजराबहरा से सुलियारी कोलयार्ड मार्ग वन संरक्षण अधिनियम के तहत मार्ग निर्माण की अनुमति हेतु 5.672 हेक्टेयर भूमि के उपयोग हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-MPR034/2022-BHO/ दिनांक 21.07.2023 के द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के पालन करने के संबंध में वचन पत्र।

A. Conditions which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	परिपालन की स्थिति
1	Cost of compensatory afforestation on the 5.672 ha non-forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एफ.सी.एस. (FCS) सेन्टर 21/1 III Floar, Jlitta Tower Mission Road, बैंगलोर के खाता नं. 1507661149667451 आई.एफ.सी. कोड का UBIN0996335 में क्षतिपूर्ती वनीकरण एवं राशि रू. 812200.00 कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा करा दी गयी है, जिसका UTR क्रमांक CBINH23766979605 दिनांक 03.10.2023 एव क्षतिपूर्ति वनीकरण की शेष राशि 4255280 कैंपा मद में दिनांक 19.12.2023 को जमा कर दिया गया है। जिसका UTR क्रमांक CBINH 23353388490 है। जिसका चालान एवं राशि हस्तांतरण का बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत है, जनरेट फार्म की छायाप्रति संलग्न है। उपरोक्त राशि परिवेश पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है।
2	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department and a copy of the documents shall be submitted.	शर्त क्र. 2 के अनुपालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण गैर वन भूमि खसरा क्र. 778, 779, 925, 1088, 1089 का रकवा 5.672 हे. ग्राम रमपुरवा तहसील चितरंगी वन

		मण्डल अधिकारी को भूमि हस्तांतरण का नामांतरण/फार्म–पी–2/अधिपत्य सौपने का प्रमाण पत्र/पंचनामा प्रस्तुत है।
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act. 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. A copy of the same shall be submitted along with Stage-I compliance report.	न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश की छायाप्रति संलग्न है।
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 5.672 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 and 09/05/2008 GIA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003 and No. 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	नेट प्रजेन्ट वेल्यू–आवेदित भूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि 6968562.00 कैम्पा फण्ड में ई–पोर्टल द्वारा अपर प्रधान वन संरक्षण (भू–प्रबंधन) म.प्र. के द्वारा ओ.के. कराकर राशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एफ.सी.एस. (FCS) सेन्टर 21/1 III Floar, Jlitta Tower Mission Road, बैंगलोर के खाता नं. 1507661149667451 आई. एफ.सी. कोड का UBIN0996335 में जमा कराकर पुष्टि हेतु UTR क्रमांक CBINH23766979605 दिनांक 03.10. 2023 सहित चालान एवं राषि हस्तांतरण का बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत है।
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	सभी राशिया कैम्पा मद में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। जनरेट फॉम की छायाप्रति संलग्न है। शर्त मान्य है।
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	संलग्न है।
7	The State Govt. shall submit a countersigned copy of approval letter dated 03/11/2006 (by the concerned DFO after proper verification)	संलग्न है वन विभाग से संबंधित है।
8	The concerned DFO shall submit status of compliance on the conditions imposed in approval letter dated 03/11/2006.	संलग्न है।
9	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consulation with the State Forest Department (SFD) and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	मार्ग के दोनो ओर घना जंगल है वृक्षारोपण किया जाना संभव नही है। भविष्य में अन्य किसी जगह पर वृक्षारोपण करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो वृक्षारोपण करने हेतु विभाग वचनवद्व है।
10	No muck shall be disposed off in forest area.	शर्त मान्य है।
11	The User Agency shall provide suitable undr/over passes in Protected Area/ Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC, if applicable.	शर्त मान्य है। जो आवश्यक निर्देश दिये जायेगे, उसका पालन किया जायेगा।
12	The KML files of the diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	अपलोड है।
13	Violation of any of these conditions will amount	शर्त मान्य है।

	to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act. 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	
14	The compliance report shall be uploaded on e- portal (https://parivesh.nic.in)	पालन प्रतिवदेन पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है।
15	In case the working permission is granted by the State Forest Departemnt, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.	हॉ ।

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User
Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted
prior to Stage-II approval:

S.No.	Conditions	Reply
1	Legal status of the forest land shall remain	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित
1	unchanged.	
		रहेगा। शर्त क्रमांक 1 के पालन हेतु
		आवेदक संस्था वचन बद्व है। उपरोक्त
		शर्त के पालन का वचनपत्र संलग्न है।
		परिशिष्ट–1 शर्त मान्य है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में वैकल्पिक
	the Forest Department over 5.672 ha non-forest	वृक्षारोपण गैर वन भूमि खसरा क्र. 778,
	land at Khasra No. 778, 779, 925, 1088, 1089,	779, 925, 1088, 1089 का रकवा 5.672
	Village-Ramurva, Tehsil-Chitrangi, Distict-	हे. ग्राम रमपुरवा तहसील चितरंगी वन
	Singrauli at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be	<b>U</b>
	planted and monoculture of any species,	मण्डल अधिकारी को भूमि हस्तांतरण का
	especially non-native species should be avoided.	नामांतरण/फार्म-पी-2/अधिपत्य सौपने
		का प्रमाण पत्र / पंचनामा प्रस्तुत है।
3	Additional amount of the NPV of the diverted	वचन पत्र संलग्न है।
	forest land, if any, becoming due after finalization	
	of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert	
	Committee, shall also be charged by the State	
	Government from the User Agency. The User	
	Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
4	User agency shall restrict the felling of trees to	शर्त मान्य है।
	the enumerated 455 numbers/minimum number	
	in the diverted forest land and the trees shall be	
	felled under the strict supervision of the State	
	Forest Department or the cost of felling of trees	
	shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department or the cost of felling of	
	trees shall be deposited by the User Agency with	
	the State Forest Department and State Forest	
	Department shall undertake the fellings.	
5	Boundary of the diverted forest land shall be	शर्त मान्य है।
	suitably demarcated on ground at the project	
	cost.	۲
6	Layout plan of the proposal shall not be changed	शतं मान्य है।
	without prior approval of the Central	
7	Government. No labour camp shall be established on the forest	शर्त मान्य है।
/	land.	रात गान्य ह
8	The User Agency shall provide alternate fuels	शर्त मान्य है।
Ľ		

	preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to prevent any damage	
	and pressure on the nearby forests.	
9	No additional or new path will be constructed	शर्त मान्य है।
	inside the forest area for transportation of	
	construction materials for execution of the	
	project work.	
10	The period of diversion under this approval shall	शर्त मान्य है।
	be co-terminus with the project life.	
11	The forest land shall not be used for any purpose	शर्त मान्य है।
	other than that specified in the project proposal.	
12	User agency shall raise strip plantation on both	शर्त मान्य है।
	sides and central verge of the road as per the IRC	
	norms.	
13	Speed regulating signages shall be erected all	शर्त मान्य है।
	along the road at regular intervals in the	
	Protected Areas/Forest Areas.	
14	The User Agency and the State Government shall	शर्त मान्य है।
	ensure compliance to provisions of all the Acts,	
	Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court	
	Order(s) and National Green Tribunal Order(s)	
	pertaining to this project, if any, for the time	
	being in force, as applicable to the project.	
15	The forest land proposed to be diverted shall	शर्त मान्य है।
	under no circumstances be transferred to any	
	other agencies, department, or person without	
	prior approval of the Central Govnment.	
16	Any other condition that the Ministry of	शर्त मान्य है।
	Environment, Forest & Climate Change may	
	stipulate from time to time in the interest of	
	conservation, protection and development of	
	forest & wildlife.	

उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन कर दिया गया है। कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति एवं कार्य करने की अनुमति देने का कष्ट करें।

(अनूप मिश्रा) महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैढ़न जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

पृ क्र. 2204 / तक. / वन / 2023 बैढ़न, दिनांक : 05.02.2024 प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक) महोदय, वन भवन भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

# M. र महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैढ़न जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

## शर्त क्रमांक— B (3)

# व्यपवर्तित वनभूमि के बदले अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि जमा किये जाने का

## वचन-पत्र

प्रस्तावित सिंगरौली जिले के बैढ़न विकासखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गजराबहरा से सुलियारी कोलयार्ड मार्ग के निर्माण हेतु 5.672 हेक्टेयर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. F.No.6-MPR 034/2022-BHO/ दिनांक 21.07.2023 के द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की सेद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र. B (3) के पालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि जमा करने हेतु शर्त अधिरोपित की जाती है तो विभाग राशि जमा करने हेतु वचनबद्व है।

> महाप्रबंधक महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैढ़न जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

## FORM-II

## (for projects other than linear projects) Government of Madhya Pradesh

# Office of the District Collector SINGRAULI

\*\*\*\*

SINGRAULI Dated C.5/02/2024

Nohi //FRA/TRIBAL/2024

## TO WHOM SO EVER IT MAY CONCREN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that <u>5.672</u> Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of `<u>General Manager</u>, <u>MP Rural Road Devlopment Cprpotation Project Waidhan dist- Singrauli</u> of <u>(Village – Dhirauli & Bhalayatola) in compartment NO RF 229, RF 378, RF 336, RFF 337.</u>

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>5.672</u> hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committees(s), gram Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan are enclosed as <u>annexure</u> 1 (1----) to annexure 2.(1-4)
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been placesd before each concerned gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of (Pnchayat - Dhirauli & Bhalayatola) Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, District level Forest Rights Committee, Singrauli and is enclosed <u>annexure 3 (1-18) to</u> annexure 4.(1-....)
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when There was a quorum of minimum 50% of the Members of Gram Sabha presence,
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.As above.

Collector DISSTT-SINGRAUL



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (म०प्र०)

का /260 / प्रवार / 2022

चितरंगी दिनांक 1.6-06-2-2

प्रति,

कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गाम रमपुरवा स्थित रकवा 5.672हे॰प्रस्तावित भूमि वन विभाग को अंतरण विषय :-किये जाने के सम्बन्ध में ।

कलेक्टर महोदय का पत्र 12/अ-20[3]/2022-23 सिंगरौली दिनांक सन्दर्भ -14/06/22

-0000——

विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम रमपुरवा स्थित रकवा 5.672हे॰प्रस्तावित भूमि वन विभाग को अंतरण किये जाने के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार वृत्त कोरावल व वन विभाग के अधिकारी /कर्मचारियों की उपस्थिति में मौका जॉच किया गया प्रस्तावित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है वन विभाग के किसी अधिकारी /कर्मचारियों व्दारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई पंचनामे में सभी के हस्ताक्षर मौजूद 青一

अतः मयपंचनामा प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर सदर

सम्पेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तान्सार

उपखंड अधिकारी तहसील /चितरंगी त्ला-सिंगरौली (म.प्र.)

קיווים נייויואון צוודות השותוטוב ותאביווטאובין זב ומכוווב נוווב לה גרוור לה אוטו מיויאן ואווי 2) रुक्तियर् ता के ताहर का जिला के जिला है, के तहरे देशनियद 12012.06, 1086/2.50, 1089/2.02 Jul (5,01 00 3,01 25,01 10.71 20 عارية (سراسة ( رومية أنه فر روروسا ومن a ( محاسة المحرم عرفي مع ( رومية المع उपरियमि हो निया जाया- 1 अग्ताबित अर्दात देवलिय क्रातीया) हेन्द्र ()-1140 (16.2) (12 -> 21050) Condis) () anum silumi 253,19611 975 3 प. ह. रागिला कर्त्तम 3. मा भीत () 4. E. Atsear vision gamin 3771) () A 9-1 - 513 Juni 5701 / 516 - Ther 计方行

3-10-1765

(HIVERDS OND)

CHIWTOLEIOT

Annezare-? कार्यालय वनमंडल अधिकारी पूर्व सीधी वनमंडल सीधी (म०प्र०) क्रमॉक/मा०चि०/ 2290

प्रति

रोधि विगीम् /10/2006

महा प्रबंधक म0प्र0 ग्रामीण राखक विकाश प्राधिकरण .परियोजना क्रियान्तयन ईकाई सीधी

(पुराना स्वराज भवन सीधी)

विषय:-

संदर्भ-

प्रधान मंत्री ग्राम संख्या योजना अंतर्गत छटते चरण में पैकेज क्रमॉक 4123 के तहत रवीकृत रजमिलान रोड से डोगरी मार्ग के जन्नयन कार्य की अनुमति बायत। आपका पत्र क्रमॉक 3336/तक./पी.आई.यू./का./440/2005 सीथी दिनॉक 4.10.06 |

विषयाकिंत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्ररतुत प्रस्ताय के अनुसार सीधी जिले के विकास खण्ड बैढन के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व निर्मित रजमिलान रोड से डोगरी मार्ग उन्नयन हेतु म०प्र० शासन वन विभाग के पत्र दिनॉक 17 मई 05 से परिप्रेक्ष्य में वन विभाग से अनुमति चाही गई है। प्रस्तुत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त यह मार्ग आरक्षित वनखण्ड वासी विरयह के प्रकोष्ठ क्रमॉक 323, 325, 327, 328. 337, 329, 378—बी, 315 से होकर गुजरता है। वनक्षेत्र में मार्ग की लम्बाई 5.00 कि0मी0 प्रभावित है। यह मार्ग वर्ष 1976 के पूर्व का निर्मित मार्ग है।

-0-

क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा वर्ष 24.10.80 के पूर्व निर्भित वनक्षेत्र से गुजर रहे कच्चे मार्गो के उन्नयन हेलुं म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र दिनॉक 17 मई 2005 द्वारा जारी निर्देशानुसार अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करने संबंधी वचन पत्र संलग्न है। प्रस्ताय के अनुसार

प्रस्तावित मार्ग केवल पूर्व निर्मित मार्ग के अंतर्गत ही उन्नयन कार्य प्ररतावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव पर पूर्ण परीक्षणोपशन्त भारत शासन के ज्ञाप क्रमॉक एफ.नं. 11—48 / 2000 एफ.सी. नई दिल्ली दिनॉक 30 अप्रैल 2005 सहपठित म०प्र० शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमॉक/5/6/2005 10–3 भोपाल दिनॉक 17 मई 05 द्वारा जारी मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमॉक/5/6/2005 10–3 भोपाल दिनॉक 17 मई 05 द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार उन्नयन हेर्तु प्रस्तायित रजमिलान रोड से छोगरी मार्ग 24.10.80 के पूर्व निर्मित मानकर वनक्षेत्र के अंतर्गत लम्बाई 5.00 किं0मी0 व चौडाई वन विभाग माप निर्धारण के अनुसार होगी के उन्नयन कार्य की अनुमति निम्नाकिंत शर्तो के साथ दी जाती है। अधोलिखित शर्तो के पालन का पूर्ण उत्तर दायित्व क्रियान्वयन एजेन्सी कार्यपालन यंत्री ग्रा०व०से० संभाग सीधी का होगा। शर्तो के उल्लघन पर प्रदत्त रवीकृति निरस्त मानी जावेगी एवं संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मार्ग केवल जन्नयन कार्य की अनुमति होगी। डमरी करण के लिए सड़क निर्माण के पूर्व 1.

क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा विधि अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी

C:\Documents and Settings\Computer\My Documents\D.M. SECTION\PATTA.doc

-7-

- वनक्षेत्रों के अंदर पत्थरों को तोड़ने की कोई अनुमति नहीं होगी। पूर्य से ही निर्मित सामग्री सड़कों 2. के उन्नयन हेतु उपयोग किया जायेगा। उन्नयित सड़क के दोनों किनारे ईट/पत्थरों से सुदृढ किये जायेगे तथा भू–क्षरण को रोकने के 3. लिए इस कार्यालय के परामर्श अनुसार वेजीटेटिव कार्य परियोजना लागत पर किया जावेगा। किसी भी वृक्ष को नही काटा जावेगा। 4. सडक का चौड़ीकरण नहीं किया जावेगा। मारी किमा की ही बरेज रक्षि मारण का अग्र अग्र है तो व ्ट्रास्किम्म 1980 के जांगोंग के अग्रसन पूर्व आदाज रक्षि मारण का अग्र आग्रम्म है तो व वनक्षेत्र को कही भी नहीं तोड़ा जायेगी। 5. 6. वनभूमि पर श्रमिक केम्प नही लगाये जायेगे। 7. सूर्यास्त के पश्चात कोई कार्य नही किया जावेगा।
  - मार्ग के उन्नयन कार्य के दौरान स्थानीय पौधों/वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को कोई क्षति नहीं पहुवाई जावेगी।
- सड़क के उन्नयन कार्य के कारण वनक्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा। यदि वनक्षेत्र को 10. कोई नुकसान होता है तो क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी नुकसान की भरपाई परियोजना लागत से करेगी जो इस कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
- इस उन्नयित की गई सड़क पर अथवा उन्नयन के अधीन सड़क पर स्थाई चेक पोस्ट उपयुक्त 11. स्थानो पर शासनकी पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाए जावेगे।
- समय-समय पर स्थानीय पौधे एवं जीव जन्तुओं की संरक्षण व निकास के लिए शासन की पूर्व 12 अनुमति प्राप्त कर कोई भी नई शर्त लगाने के लिये अधोहस्ताक्षर कर्ता सक्षम रहेगे।

चनमंडल अधिकारी अग्रियूर्व सीधी १ सीधी दिनॉक 3 / 10/2006

*क्रमॉक /* मा0चि0 / *3 2 9* | प्रतिलिपिः--

8.

9.

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

- 1. सचिव म०प्र० शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
- 2. मुख्य वन संरक्षक भू--प्रबंध प्रथम तल सतपुडा भवन भोपाल म०प्र०।
- वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा (म0प्र0)।
- 4. कलेक्टर जिला सीधी म0प्र0।
- 5. उपवनमंडल अधिकारी बैढ़न।
- वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न।

वनमंडल अधिकारी अधि पूर्व सीधी

C:\Documents and Settings\Computer\My Documents\D.M. SECTION\PATTA.doc

OU



# CLR No. : 11083582353

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख स्वसारा प्ररूप एक (नियम 6 देखिर) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-संवेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



म.प्रदेश शासन											DFKUR 9H0
आदर। ।द. 20/06/2022 के अनुसार मूआमेत्नेव अद्यतित							शानकाय संस्था	रू.0.00 <sup>श</sup> ा	হ		82JK15
न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/3-20(3)/2022-23,							वन विभाग मध्यप्रदेश शासन		71 :	(S)	0923
12		1	-		_	<u> </u>	(शासकीय)	1.0000	-	9252	153640
	:	15	0	ω	7	9	σ	4	ω	N	1
1. पूम क लिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. पूमें पर सरवना /दुस 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉटन संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुघार के आदेज	प्रसार भूतस्ट के अर्धनि भूतस्ट	4. अन्य	प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	(यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	पहिंदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पहें की 3. पहें की 3. पहें के अर्घान क्षेत्र	ञ्च <sup>ा</sup> में स्वार्थनी	সকল সকল কাল্য কলা দ্বাৰ কল প্যা 2. মাম্যকীয় পুশি		- 파티 이 아 화 파 아 지 :		्राभ्य द्वित्रि द्वित्रि
94: 2023-2024			भूमि पर बिळंगम तथा	मौरुषी कृषक	1, सरकारी	प्रत्येक	पुनिर्खानी का नाम, उसकी माता	1	-	티 티 티 리 디	
1	जिन्न. जिल्लोजी	मु		₽	तहसीटः चितरंगि		<u>ل</u> ارً	पटवार्थ हल्काः गोपल्प्र	Æ	Þ	12
								,		•	



Page 1 of 1

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2023.10.26 13:06:23 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy CLR No. : 11083582353

Scanned with OKEN Scanner



CLR No. : 11083582356

खुसरा प्रस्प एक (नियम 6 देखिए) नध्यप्रदेश भू-शजस्व संहिता (भू-संवेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 मध्यप्रवेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



ग्रामः रमपुरवा	व		पटवारी हल्का: गापला	गापटम		तहसीटः चितरंगी	ĥ		जिल्लाः सिंगग्रेजी		H. 0000 0001
	19.2	a	1 ਮੇਰਨਤ		$\left  \right $		ĥ	2			41: 2023-2024
स्त <u>ि</u> सन्ति	भाग का का	ang A	(स्वटेयर)वर्ग	1: २५७२९१२१ ७१ २१२, ७२४७१ भाषा /पिता / पति का नाम तथा निवास का	भूत्यवा	1, संरकारा प्रदेशन का	मारुवा कृवक (मनि कॉर्स से)	भूमि पर बिद्धाम तथा	फसल के ब्यूरि		1. पुषि के सिंबाई संबधी प्रास्थिति
पूर्वित क	Harr	संख्याक	मीटर में)		थ्य ≈	Ð	का नाम,	1. สัยสา			2. पूर्मि पर मरन्ना /वृस
Silo	राख्याक	9) (S	2. भूम उपयान	2. शासकाय भूमि	च	∎∌	उसकी	2. दृष्टिवंधक	पत्सल्ड	त अर्थीन	- 3. अन्य आपयाकरण   4. वर्ष के देशन कॉन्ट्रम संस्था (1) से (g) कह में चरिषिकों में
	√इ.जॅक संख्याक)	टमा में)	जिसके हिर निर्धारण			칰 4	भाता/NAI/NA का नाम तथा चित्राय का पत्रा	3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन	1. खरीफ	क्षेत्रफल्ठ	मुयार के आदेश
			किया गया है 3. पू-			२ अवधि तरे ¥	।नवास का पता		2. रबी 3.		
			भारक (रु. में)			अर्थान क्षेत्र			4. अन्य		
 1	2	ω	4	5	ດ	7	8	6	10	11	12
153622 5491	1088/ 2 (S)		1.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विमाग मध्यप्रदेश शासन	1						- न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण ऊ. 0012/3-20(3)/2022-23, आरंभ हि 2010/2022 के स्टार्ग्स प्र सर्फित के स्टार्फित के
			1000	शासकीय संस्था						<b>T</b>	and a second sec
 82JK6A			\$.0.00								म.प्रदेश शासन
 HO											



E.C. संया N24 234 14 H ¥ (218 A Υğ

Page 1 of 1

Scanned with OKEN Scanner Scanned with CamScanner

O





I

#### नध्यप्रदेश कध्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख रुप्रसरा प्ररूप एक (नियम 6 देखिर) नध्यप्रदेश भू-राजस्व संहित। (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11083581971

जनः स्मृत्व			पटवारी हल्काः			तहसील: चितर	ជា		जिलाः सि	गेंगरौली	काः 2023-2024
월 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한	के थे। से में में में में में में में में में मे	संख्यांक (स्टॉक	मीटर में)	1. पूनिस्वामी वा नाम, उसकी माता /रेजा / रति का नाम तथा निवास का प्रजा 2. शासकीय पूनि	पूनि स्वामी का अंश	नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	माता/पिता/पति	भूमि पर विऌंगम तथा प्रमार 1. बंधक 2. दृदिबंधक 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फत्सल के फत्सल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य		1. पूमि के लिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. पूमि पर संरचना /दुस 3. अन्य अपियुक्तियाँ 4. वर्ष के देवंग कॉस्टम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153640 0912 82JM41 DFL1U FH0	7782 (S)		1.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) दन दिमान मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण इ. 0012/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित   म.प्रदेश शासन

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2023.10.26 13:06:21 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy CLR No. : 11083581971

A'dl

H

101- 10 101- 10

5

**O** Scanned with OKEN Scanner

Page 1 of 1

-----



CLR No. : 11083582348

### मध्यप्रवेश कःप्यूटरीकृत भू-अपिलेख रवसरा प्ररूप एक (नियम 6 देखिर) मध्यप्रवेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षज तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020



प्रामः रमपुरव	ព		पटवारी हल्काः	ਸੀਪਟਸ਼		तहसीलः चितरं	ft		1		
पूमि के फान की यूनिक यूईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेसग संख्यांक /ब्ल्प्रॅंक संख्यांक)	पू- खण्ड संख्यांक (स्ल्रॅंक की दसा में)	4122 4)	1. খুনিম্বানী কা নাদ, उसकी माता /থিরা / থরি কা নাদ রথা নিবাম কা থরা 2. মামকীয খুনি	प्रत्येक पूमि खामी का अन्न	1, सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	मौरुषी कृत्रक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति	भूमि पर विल्लाम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दूरिबंधक 3. पू.अर्जन प्रक्रियाधीन	जिलाः सि फसल के फसल 1. खरीफ 2. खी 3. जायद 4. अन्य	ग्रीरे फ्रिस्ट के अधीन सेनफट्ठ	र्थाः 2023-2024 1. पुगि के सिंगई संस्थी प्रास्थिति 2. पुगि पर संरचन / तुम 3. अन्य प्रपितुनियां 4. वर्ष के दौरान कॉल्टम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में चुपार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153640 0956 82JLUJ DFL0T CH0	779/2 (S)		1.6720 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क. 0012/अ-20(3)/2022-23. आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार पू.अभिलेख अद्यतित   म.प्रदेश शासन



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2023.10.26 13:06:22 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy CLR No. : 11083582348

**O** Scanned with OKEN Scanner

Page 1 of 1



## मध्यप्रवेश वाम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख रेखसरा प्रस्प एक (नियम 6 देखिए) मध्यप्रवेश भू-शजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्रामः रमपुरव			पटवारी हल्काः			तहसीलः चितरंग	f		ਹਿਰਾ: सि	िर्ना	र्वाः 2023-2024
यूनिक आईडी	(सवसण संख्यांक	संख्यांक (ब्लॉक की दर्शा में)	मीटर में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	भूमि स्वामी	नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	(यदि कोई हो) का नाम, उसकी	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के	ब्यीरे फ्लाल्ड के अधीन क्षेत्रफल्ड	वर्गः 2023-2024 1. पूर्गि के सिंगई संबंधी प्रास्थिति 2. पूर्गि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉल्टन संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153622 5478 82JK40 DFL1ZL H0	1089/ 2 (S)		1.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित   म.प्रदेश शासन



Page 1 of 1

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2023,10.26 13:06:26 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy CLR No. : 11083582358

O Scanned with OKEN Scanner